



<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.103/2023</p>	<p>नम्बर व रिख अहकाम जो इस हुकम कोतामिल में जारी हुए</p>
<p>21.7.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाराम जी देवासी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारीवास, वेलांगरी, तहसील व जिला- सिरोही उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.1.2023 को अनादरा चौराहा, सिरोही पर मोटर साईकिल आर जे 24 एस जे 1244 पर बैठे व्यक्ति प्रतिवादी शंकरलाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ गाय के दूध का नमूना संख्या S-1961 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./10/Act/2023/53 दिनांक 11.1.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में आज दिनांक 21.7.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी शंकरलाल ने अनुरोध किया कि गांव में पशुपालको से गाय का दूध खरीद कर बेचता है, उसने दूध में मिलावट नहीं की है। मविष्य में वह अमानक गाय का दूध नहीं बेचेगा। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 06.1.2022 को अनादरा चौराहा, सिरोही पर खड़े मोटर साईकिल नम्बर RJ24SJ1244 पर रखे हुए 20 लीटर गाय के दूध से भरे हुए केन में से प्रतिवादी विक्रेता शंकरलाल पुत्र उनाराम जी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारी वास, वेलांगरी, तहसील व जिला- सिरोही से 2 लीटर गाय के दूध को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-1961 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./10/Act/2023/53 दिनांक 11.1.2023 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकरलाल ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ गाय के दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>.....लगातार</p>	



व.सि. वि.स. अधिकारी
सिरोही-307001.



<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.103/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ गाय के दूध के विक्रय हेतु प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र उनाराम जी देवासी, जाति-देवासी, निवासी- रेबारी वास, वेलांगरी, तहसील व जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी शंकरलाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.8.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही </p>	